न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 13/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. समुन्दर पुत्र चिरमोली जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... गैरसायल/अपीलांट

बनाम

1. फतेहसिंह पुत्र समुन्दर पौत्र चिरमोली जाति जाट निवासी खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

..... सायल/ रेस्पोडेन्ट

2. उपपंजीयक कठूमर जिला अलवर राज0।

.....गैरसायल/रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री अमरचन्द चौधरी, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय ::: **दिनांक :–11.02.2020**

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय दिनांक 27.01.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल रेस्पो0 फतेहसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 326/412, 32, 35, 47, 199, 203, 208, 326, 328, 198, 46, 327, 25, 46/410, 64, 65 वाके ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर में स्थित है। सायल एवं गैरसायल संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं। चिरमोली सायल का दादा व समुन्दर भंवरा विशम्बर व लक्ष्मण चिरमोली के पुत्र हैं। गैरसायल संख्या 01 सायल का पिता लगता है समुन्दर के वारिस उसके तीन पुत्र फतेहसिंह सायल व बलराम श्रीमान हैं। उपरोक्त विवादित आराजी

सायल के दादा चिरमोली की पैदाकर्दा आराजी होने से पैतृक आराजी है जिसमें सायल को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।पैतृक आराजी में मृतक के पौत्र पौत्रियों को जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार उक्त आराजी में सायल को जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो चुके हैं। सायल विवादित आराजी में अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में विधि विरूद्ध रूप से प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस कारण सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। सायल विवादित आराजी में अपने हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कराना चाहता है।गैरसायल चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जो हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 02 से मिलकर दीगर लोगों को रहन बय करना चाहता है तथा सायल के हिस्सा कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है आदि आदि पर मिन सायल रेस्पो0 ने मिन गैर सायल अपीलांट को स्थगन आदेश से पाबंद कराने की प्रार्थना की जिस पर बाद तलबी मिन अपीलांट ने अपना जबाव पेश किया एवं बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित कर मिन अपीलांट को पाबंद फरमाया है जिससे व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायलय का आदेश खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ मौका है। विवादित आराजी का मिन अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन किसी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को पाबंद नही किया जा सकता है। रेस्पो0 का उक्त आराजी से कोई संबंध वो सरोकार किसी प्रकार का नही है तथा आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता व गैरकाबिज शख्स है। उक्त निर्णय की आड में रेस्पो0 मिन अपीलांट को आराजी से जबरन बेदखल करने की कोशिश में है इससे अपीलांट को भारी ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। रेस्पो0 फतेहसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई रिकार्ड पेश नही किया है जिससे कि विवादित आराजी पैतृक आराजी होना साबित है जबकि विवादित आराजी मिन अपीलांट की पैदाकर्दा आराजी है जिससे रेस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से मिन अपीलांट अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी का उपयोग व उपभोग करने से महरूम हो रहा है। सायल का विवादित आराजी के किसी भी भाग पर कोई कब्जा काश्त नही है तथा यह विगत करीब 25 साल से ग्राम खेरली तरफ रेला में भी नही रहता है बल्कि सेवर के पास भरतपुर में निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों बिंदुओं का विस्तृत रूप से कोई विवेचन नही किया है जबकि उपरोक्त तीनों बिंदु मिन अपीलांट के पक्ष में पूरी तरह आयद व साबित थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का आदेश दिनांक 27.01.2018 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि उपरोक्त विवादित आराजी रेस्पो0 के दादा चिरमोली की पैदाकर्दा आराजी होने से पैतृक आराजी है जिसमें रेस्पो0 को जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।पैतृक आराजी में मृतक के पौत्र पौत्रियों को जन्म से ही

हक वो अधिकार पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार उक्त आराजी में रेस्पो0 को जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो चुके हैं। रेस्पो0 विवादित आराजी में अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में विधि विरूद्ध रूप से अपीलांट की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस कारण सायल के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। रेस्पो0 विवादित आराजी में अपने हिस्सा की खातेदारी की घोषणा कराना चाहता है।अपीलांट चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जो हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन बय करना चाहता है तथा रेस्पो0 के हिस्सा कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही और विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। अतः उक्त अपील को खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की गई। आरआरडी 1997 पेज 30, आरआरटी 2017(2) पेज 907.

अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की गई। आरआरटी 2018(1) पेज 156, आरआरडी 2015 पेज 497, आरआरडी 2002 पेज 294, आरआरडी 1965 पेज 120, आरआरडी 2005 पेज 349, आरआरडी 2006 पेज 294, आरबीजे 2016 पेज 468, आरआरटी 2018(2) पेज 1370, आरआरडी 1996 पेज 190.

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 27.01.2018 का अवलोकन किया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत की पत्रावली में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजीयात पैतृक आराजीयात है जबकि अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमो के साथ हलफ बयान संलग्न किया है कि विवादित आराजीयात मिन अपीलांट की पैदाकर्दा आराजी है जिससे रेस्पो0 का कोई संबंध व सरोकार नही है। इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीरें चस्पा नही होती हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212– अस्थाई निषेधाज्ञा– रेस्पो0 उसके पिता के जीवनकाल में, जो कि जीवित है, कोई अनुतोष पाने का हकदार नही है। अपीलांट की स्वअर्जित संपत्ति है और वह रिकार्डेड खातेदार है। इस कारण रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। तहत अदालत का यह निष्कर्ष कि प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति रेस्पो0 के पक्ष में साबित हो रहे हैं, विधिसम्मत नही कहा जा सकता है। सभी पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्णय दावे में ही तय किया जाना है, किन्तु दावे के निर्णय तक रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का निर्णय दिनांक 27.01.2018 अपास्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर